न्यायालय : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सह विशेष न्यायाधीश, प्रथम, एस.सी. / एस.टी., उत्पाद, शिवहर।

तरियानी छपरा थाना काण्ड संख्या–09 / 2021

दिनांक–19.03.2021

काराधीन अभियुक्त–1. भाग्यनारायण साह, जिन्हें तरियानी छपरा थाना काण्ड संख्या–09 / 2021, अंतर्गत धारा–341,323,504,354 भा0द0वि0 एवं 3(1)(r)(s),3(2)(v)(a) SC/ST Act के अपराध के लिए दर्ज है के संबंध में आज दि0 19.03.2021 को न्यायालय में आत्मसमर्पण करते हुए उनकी ओर से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार झा के द्वारा प्रचालित प्रचालित किया गया, जिस पर उनको एवं अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचिका रेणु देवी जो वर्तमान में कुम्हरार पंचायत के पंच के पद पर निर्वाचित है। दिनांक–09.01.2021 को समय करीब 3 PM बजे पंचायत भवन पर वार्ड सचिव के चुनाव हेतु आम जनता बैठे हुए थे सूचिका भी वहीं पर थी चर्चा चल रहा था तो वह बोली कि एक दो महीना में चुनाव होना है तो वार्ड सचिव का चुनाव की क्या आवश्यकता है। इसी बात पर 1. भाग्यनारायण साह, 2. बरूण कुमार, 3. अरूण कुमार एवं दो–तीन अज्ञात आदमी सभी मिलकर जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गाली देने लगा कि साली, दुसाधीन तुमको इतना हिम्मत हो गया कि हम लोगों के सामने बोलती हो साली को मारो। बरूण कुमार सूचिका का बाल पकड़कर पटक दिया कि अरूण कुमार सूचिका की साड़ी खोलकर बेलग्न कर दिया और उसी साड़ी से उसकी गर्दन लपेटकर जान मारने की नियत से कसने लगा कि भाग्यनारायण साह सूचिका को अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट करने लगा। पंचायत भवन पर उपस्थित लोगों ने सूचिका को बचाया। इसी आधार पर काण्ड अंकित है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है जिन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। ग्रामीण गंदी राजनीति के कारण आवेदक को इस झूठे वाद में फंसाया गया है। सूचिका कुम्हरार पंचायत के निर्वाचित पंच है। उसके भैंसुर कृष्णनंदन पासवान को वार्ड के सचिव तथा सीता देवी पति भाग्यनारायण साह उस समिति के अध्यक्ष हैं। कृष्णनंदन पासवान ने समिति के जल–नल योजना में काम करने के उद्देश्य से 2,60,000 / – समिति के खाते से निकाल लिया और स्वयं के काम में इस्तेमाल किया तथा पैसा वापस नहीं किया, जिसकी शिकायत सीता देवी ने मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, शिवहर के यहाँ परिवाद पत्र–सी01–174 / 20 दाखिल कर दर्ज की तथा कृष्णनंदन पासवान के खिलाफ बी0डी0ओ0 तरियानी और लोक शिकायत पदाधिकारी को भी दी है। जिसपर कुम्हरार पंचायत के सचिव को एक पत्र जारी कर पैसा लौटने एवं उचित कार्यवाई करने के लिए कहा गया है। जिससे बचने के लिए सीता देवी के पति तथा बेटा के खिलाफ इस वाद के सूचिका ने अपना विशेष जाति का लाभ लेते हुए यह झूठा केस कर फंसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक सक्षम बंध–पत्र देने को तैयार है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक जमानत का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध विशेष रूप से कोई निश्चायक आरोप न होकर सामान्य तरह के आरोप हैं तथा धारा–354 भा0द0वि0 बनावटी प्रतीत होता है। उभय पक्षों में पुर्व से वाद एवं प्रतिवाद है। इस वाद सह अभियुक्त 1. बरूण कुमार, 2. अरूण कुमार को इस न्यायालय द्वारा दिनांक–26.02.2021 को जमानत दी गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कोरोना बीमारी के प्रकोप को देखते हुए आवेदक अभियुक्त–1. भाग्यनारायण साह, में से प्रत्येक के द्वारा मो0–10,000 / –(दस हजार रुपया) के दो समान प्रतिभू एवं जमानतदार दाखिल करने पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है, कि अभियुक्त के दोनों जमानतदार स्थानीय होने चाहिए, जिनके पास पर्याप्त अचल सम्पत्ति हो एवं 2. आवेदक अभियुक्त इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल करेगें कि वे अनुसंधान / विचारण के दौरान पूर्ण सहयोग करेगें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
सह विशेष न्यायाधीश, एस.सी. / एस.टी. शिवहर।
19.03.2021